



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 121 /2025

दिनांक- 02.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 02.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना पवई:किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 29.03.24 को वादिनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक प्रा0पत्र बाबत दिनांक 28.03.2025 को समय करीब 23.00 बजे वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के कहीं चले जाने, काफी खोजबीन करने पर पता नही चलने के सम्बन्ध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 111/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । जिसमें दिनांक 01.04.25 को पीड़िता की बरामदगी की गयी एवं पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र सालिक राम राजभर निवासी ग्राम हरपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 18 वर्ष का नाम प्रकाश में आया एवं साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87, 65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

आज दिनांक 02.04.2025 को उ0नि0 कृष्ण कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र सालिक राम राजभर निवासी ग्राम हरपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 18 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना पर समय करीब 11.45 बजे मिल्कीपुर अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।



02.थाना- कोतवाली: वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी वसीम अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी मु0 बदरका थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मैं दि0 22/3/25 को समय 11.00 बजे लगभग अपनी कपड़े की दुकान जो चौक पर है खोल रहा था और सामान लगा रहा था कि उसी समय विवेक चौहान पुत्र ओम प्रकाश चौहान जो खत्री टोला का रहने वाला है। मेरी दुकान पर आया और मुझे गाली-गलौज देते हुए सारा पुराना कपड़ा रखा है गन्दा बेकार सड़ा हुआ कपड़ा रखता है तू ग्राहक का कपड़ा बदल नहीं तो गोली मार दुंगा बहस करने लगा मैंने मना किया तो दुकान के अन्दर आकर मुझे मारने लगा उसके हाथ मे लोहे का चुला (कड़ा) था जिससे उसने मेरे सर पर कई बार जानलेवा वार किया जिससे मेरे सर पर गहरी चोटें आयीं और पीछे सर मे ज्यादा चोट आयी सर से काफी खून निकलने लगा मैं लहलुहान हो गया। जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दिनांक 22.03.2025 को मु0अ0सं0 मु0अ0सं0- 146/25 धारा- 115(2)/352/351(3) BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 2.4.25 को उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.विवेक चौहान पुत्र ओमप्रकाश चौहान निवासी मुहल्ला खत्रीटोला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़.उम्र 25 वर्ष को समय 9.30 बजे श्री बड़ा गणेश मंदिर से आगे बन्धा रोड से होकर सिविल लाईन की तरफ जाने वाले रास्ते से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



03.थाना- कोतवाली:ठगी के 12,500 रूपयें के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी निर्मल यादव पुत्र तित्तू यादव नि० ग्रा० लोहरा (तकिया) थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मैं दि० 11/3/25 को अपने घर से दीवानी न्यायालय मुकदमें की पैरवी में आ रहा था कि ठण्डी सड़क पर अचानक पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने मुझे रोक कर अपनी बातों में उलझाकर मुझसे 15000/- रू० की ठगी करके चोरी कर लिया । जिससे मैं काफी डरा होने के कारण आज उक्त घटना की सूचना लिखित रूप से दे रहा हूँ । जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दिनांक 1.4.25 को मु०अ०सं० 165/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 02.04.2025 को उ०नि० सौरभ त्रिपाठी चौकी प्रभारी रोडवेज, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त अवधेश पुत्र मुखराम यादव ग्राम मोजरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़.उम्र 38 वर्ष को समय 7.40 बजे बंधे से रोडवेज आने वाले रास्ते पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया , तथा कब्जे से ठगी का 12500 रूपया बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग - मु०अ०सं० 165/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

- 1.मु०अ०सं० 140/24 धारा 319(2),318(4),336(3) बीएनएस थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
- 2.मु०अ०सं० 200/20 धारा 3 /25 शस्त्र अधि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
- 3.मु०अ०सं० 165/25 धारा 318(4), 317(2/4) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़



04.थाना दीदारगंज: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व वीडियो बनाकर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 01.04.2025 को वादिनी मुकदमा के लिखित तहरीर बावत वादिनी की लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगभग एक वर्ष पूर्व दुष्कर्म करना व वीडियो बनाकर वायरल करने सम्बन्ध में मु0अ0स0 82/25 धारा 376,504,506 भादवि व 67(ए) आई0टी0 बनाम 1.डब्बू राजभर पुत्र रामबचन राजभर निवासी ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दि0 02.04.2025 को प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त डब्बू राजभर पुत्र रामबचन निवास जेठहरी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को मार्टिनगंज बाजार सेसमय करीब 9.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

